न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 189/2025

जीसीएमएस सख्या – (2025/375)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीगणः–

1. मोतीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम उम्र 40 वर्ष
2. ओमाराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम उम्र 34 वर्ष
   जातियान जाट निवासीगण ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत नारनाडी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत नारनाडी, जिला जोधपुर।
2. हीराराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 11, पट्टा बुक नंबर 31, मिसल सं. 08/2017–18 दायरा दिनांक 05.07.2017 जो ग्राम पंचायत नारनाडी द्वारा दिनांक 17.10.2017 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (प्रार्थीगण 01 व 02 की ओर से)
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

–निर्णय– **दिनांक : 18.07.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत नारनाडी, पंचायत समिति, लूणी द्वारा मिसल सं. 08/2017–18 दायरा तारीख 05.07.2017 में जारी पट्टा सं. 11 (बुक नं. 31) दिनांक 17.10.2017 को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2021 को पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 पट्टाधारी हीराराम की ओर से श्री डी.आर. भादू, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया। ग्राम पंचायत नारनाडी से विवादग्रस्त पट्टा से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत ने पत्रांक 19 दिनांक 05.06.2024 से पट्टा बुक सं. 31, बैठक कार्यवाही रजिस्टर 2017–18 पेश किया तथा पट्टे से संबंधित मिसल सं. 08/2017–18 उपलब्ध नहीं होना सूचित किया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निगरानी मीमों अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 2 के संयुक्त स्वामित्व का एक रहवासीय बाडा ग्राम नारनाडी की आबादी भूमि में, उनके पिता डूंगरराम के समय से कब्जासुदा आया हुआ है, जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है परंतु अप्रार्थी हीराराम ने ग्राम पंचायत से मिलावट करके बाले–बाले भूखण्ड का आक्षेपित पट्टा अकेले अपने नाम जारी करवा लिया है। पट्टा जारी करते समय मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही आपत्ति मांगी गई है तथा बाले–बाले गुप्त रूप से अप्रार्थी सं. 2 के नाम पट्टा जारी किया गया, जो नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। जिसकी हाल में ही भूखण्ड पर चार दीवारी बनाने हेतु प्रार्थीगण ने नींव खुदवाना शुरू किया। दिनांक 12.04.2021 को प्रार्थीगण को सिर्फ पट्टा की नकल दी गई तथा संपूर्ण मिसल की नकलें नहीं दी। अतः पट्टे की जानकारी से निगरानी अंदर म्याद पेश है। निगरानी के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया।
4. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।
5. निगरानीकर्तागणों के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक चौधरी, एडवोकेट ने निगरानी याचिका में अभिलिखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी 2 का बराबर हिस्सा है, मौके पर अलग अलग तीन हिस्से किये हुए है, परंतु अप्रार्थी सं. 2 ने पूरे पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा अपने नाम बनवा लिया है तथा ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय नियमों की अवहेलना करते हुए नियम 157(1) में पट्टा अप्रार्थी 2 के नाम जारी किया है, जो गलत है। ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करने हेतु संधारित की जाने वाली मिसल उपलब्ध नहीं है। अतः अवैध रूप से जारी पट्टा को निरस्त किया जावे।
6. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा प्रकरण में बहस नहीं की ।
7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन कर, उसका अवलोकन किया।
8. (a)ग्राम पंचायत नारनाडी से प्राप्त पट्टा बुक सं. 31 में पट्टा सं. 11 की कार्यालय प्रति उपलब्ध है, जिस पर मिसल सं. 08/2017–18, दायरा तारीख 05.07.2017

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अंकित है तथा यह पट्टा ग्राम नारनाडी की आबादी भूमि में अप्रार्थी सं. 2 हीराराम पुत्र डूंगरराम के पक्ष में, राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत प्रारूप 23क में संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2017 की अनुपालना में दिनांक 17.10.2017 को 298.17 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया है, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत नारनाडी व सचिव, ग्राम पंचायत, नारनाडी के हस्ताक्षर है तथा यह पट्टा बुक विकास अधिकारी लूणी द्वारा जारी की गई है। यह पट्टा 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होना मानकर जारी किया है।

(b) ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.07.2017 को प्रस्ताव सं. 05 पारित कर मिसल सं. 01 से 67 तक में पुराने कब्जों बाबत पट्टा जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को दर्ज करने तथा मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठन का उल्लेख है।

(c) दिनांक 20.07.2017 की बैठक में प्रस्ताव सं. 3 में पंचों द्वारा पेश मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार मिसल सं. 01 से 67 तक में 40 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा मानकर नियमन करने का निर्णय लिया गया है तथा नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया गया ।

(d) बैठक दिनांक 21.08.2017 में प्रस्ताव सं. 6 पारित कर निर्णय लिया कि सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, परंतु एक माह की अवधि में मिसल सं. 1 से 67 तक में कोई आपत्तियां नहीं प्राप्त हुई है। अतः भूमि का विक्रय नहीं किया जाकर, पुराना कब्जा के आधार पर नियम 157(1)(ख) के तहत नियमन किया जावे तथा पुराना कब्जा के सबूत व गवाहों के बयान लिये जावे।

(e) दिनांक 05.09.2017 की बैठक में प्रस्ताव सं. 2 पारित कर निर्णय लिया कि मिसल सं. 1 से 67 तक में सबूतों के आधार पर पुराना कब्जा साबित होने से आवेदकों से 200/– रूपये लेकर नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टे जारी कर दिये जावे। राशि जमा होने पर पट्टा जारी किया जावे।

(f) उक्त प्रस्ताव की पालना में दिनांक 17.10.2017 को विवादग्रस्त पट्टा जारी किया गया है।

9. उक्त अभिलेखीय स्थिति पट्टाबुक में उपलब्ध पट्टा व ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में अंकित ब्यौरा पर आधारित है, जिसके अवलोकन मात्र से, इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आवेदक का भूमि पर पुराना कब्जा 50 वर्ष या अधिक का होना, किस सबूतों/साक्षियों के आधार पर ग्राम पंचायत ने माना है। इसके अतिरिक्त मौका निरीक्षण कमेटी ने जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष दिया है?

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार कमेटी की रिपोर्ट के बाद, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई है। सार्वजनिक आपत्तियां किस तारीख को आमंत्रित की गई, इस बाबत जारी नोटिस को किन–किन स्थानों पर किस तारीख को, किसके द्वारा, किन मौतबिरान के समक्ष चस्पा किये गये, इसका ब्यौरा सिर्फ पट्टा मिसल सं. 08/2017–18 से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नियमों में आपत्तियां आमंत्रित करने का न्यूनतम समय एक माह निर्धारित है तथा यह प्रावधान आज्ञापक है। इस तथ्य का सत्यापन मिसल के अभाव में नहीं किया जा सकता। मिसल की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा इस न्यायालय द्वारा मांगने पर ग्राम पंचायत ने मिसल उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 2 की ओर से भी मिसल की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है। इस प्रकार रिकॉर्ड के अभाव में विवादग्रस्त पट्टा की वैद्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय यह उपधारणा करता है कि हस्तगत पट्टे से संबंधित मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा मिसल संधारित नहीं किया जाना पाया जाता है तथा विवादग्रस्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रकिया व मानदण्डों की पूरी पालना नहीं की गई है। जांच में पुश्तैनी कब्जा की भूमि पाये जाने पर एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत को इसकी जांच करने के बाद ही सभी हिस्सेदारों को सुनकर पट्टा जारी करना चाहिए। ऐसा ही मत SBCWP No. 16564/2021 D/d 08-02-2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने व्यक्त किया है। फलस्वरूप जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है तथा निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

10. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नारनाडी द्वारा मिसल नंबर 08/2017–18 में पट्टा बुक सं. 31 में से जारी पट्टा सं. 11 दिनांक 17.10.2017 को (बहक हीराराम पुत्र डूंगरराम) निरस्त किया जाता है।

11. इसी प्रकार ग्राम पंचायत नारनाडी द्वारा (विवादग्रस्त मिसल सं. 08/2017–18, दायरा दिनांक 05.07.2017 की सीमा तक, में) पारित संकल्प सं. 05, दिनांक 05.07.2017, सकंल्प सं. 03 दिनांक 20.07.2017, संकल्प सं. 6 दिनांक 21.08.2017, संकल्प सं. 2 दिनांक 05.09.2017 को विधि प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त पट्टे की सीमा तक अपास्त किये जाते है। पक्षकार नए सिरे से पट्टा हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत नारनाडी को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किंये जाते है।

14. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर